

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)उ०प्र०,

डिग्री अर्थ-1(आयोग)

इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक

बापू पी०जी० कालेज, पीपीगंज,

गोरखपुर (उ०प्र०)।

पत्रांक: डिग्री अर्थ-1(आयोग)/ 2799

/2017-18 दिनांक 07/09/2017

विषय : विज्ञापन संख्या-46 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र वेतनकम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो डा० बदरुद्दीन की सेवा/नियुक्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध है।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या- उ०शि० आयोग/278/2017-18 दिनांक 30/06/2017 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अधियाचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

श्री राकेश प्रताप सिंह

पता-436-एल अजीतनगर कालोनी, मोहददीपुर,

गोरखपुर (उ०प्र०)।

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)उ०प्र०,
डिग्री अर्थ-1(आयोग)
इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
बापू पी०जी० कालेज,
पीपीगंज, गोरखपुर(उ०प्र०)।

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1(आयोग)/

/2018-19 दिनांक 23/09/2018

विषय :- विज्ञापन संख्या-46 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी वेतनकम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो डॉ० बृज किशोर गोयल की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/व्याप्त/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध हैं।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या-उ०शि० आयोग/सी-633/01/385/2018-19 दिनांक 08/08/2018 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हिन्दी के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अध्याचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

श्री रविशंकर पाण्डेय

ग्राम- बड़ैला, पो०- कोडरी (वाया गोला),
जिला- गोरखपुर- 273408

श्रेणी- सामान्य, चयन श्रेणी- सामान्य
मेरिट सूची में क्रमांक- 33

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)उ०प्र०,
डिग्री अर्थ-1(आयोग)
इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
बापू पी०जी० कालेज,
पीपीगंज, गोरखपुर(उ०प्र०)।

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1(आयोग)/

1716

/2018-19 दिनांक 28/09/2018

विषय :- विज्ञापन संख्या-46 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र वेतनक्रम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 में रिक्त पद का संदर्भ लें जो श्री हरिनारायण लाल की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध हैं।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या-उ०शि० आयोग/सी-633/43/592/2018-19 दिनांक 10/08/2018 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अध्याचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

श्री अमित कुमार तिवारी

ग्राम०- वैरिया तिवारी, पो०- मिर्जापुर,

थाना- बरहज, जिला- देवरिया(उ०प्र०) 274603

श्रेणी- सामान्य, चयन श्रेणी- सामान्य
मेरिट सूची में क्रमांक- 18

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उ०शि०)उ०प्र०,
डिग्री अर्थ-1(आयोग)
इलाहाबाद।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
बापू पी०जी० कालेज,
पीपीगंज, गोरखपुर(उ०प्र०)।

पत्रांक डिग्री अर्थ-1(आयोग)/ 2378

/2017-18 दिनांक 04/09/2017

विषय : विज्ञापन संख्या-46 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तु

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल वेतनकम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 में रिक्त पद का संदर्भ जो डा० महातम प्रसाद की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध हैं।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आने अपने पत्र संख्या- उ०शि० आयोग/276/2017-18 दिनांक 30/06/2017 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यव हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अध्याचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 1: के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

श्री सूरज प्रकाश मिश्रा
ग्राम- पगरा, पो०- हेमाघापुर,
जनपद- कुशीनगर- 273152

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पंदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

शिक्षा निदेशक, (उ०शि०) उ०प्र०,
डिग्री अर्थ-1 (आयोग)
प्रयागराज।

रोचार्म,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर

डॉ० (विन्दावन लाल शर्मा)
सहायक शिक्षा निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय
उ०प्र०, प्रयागराज

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1 (आयोग) / 121-126 / 2022-23

दिनांक: 18/05/2022

विषय :- विज्ञापन संख्या-50 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर SANSKRIT के पद के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर SANSKRIT वेतनक्रम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 के सापेक्ष 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स स्लैब- 10 रु 57700/- में रिक्त पद का संदर्भ ले जो डॉ० डा० चन्द्रिका शर्मा की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/ एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध है।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या- उ०शि० आयोग/उ०शि०आयोग/सी-873/16/17/6/2022-23 दिनांक 12/05/2022 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर SANSKRIT के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अधिवाचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

नाम ATUL KUMAR SHUKLA

पता- ROOM NO- 72 JUBILEE HALL HOSTEL DU DELHI UNIVERSITY NORTH DELHI THE GOVERNMENT OF NCT OF DELHI 110007

श्रेणी -GEN, चयन श्रेणी -GENERAL
मेरिट सूची में क्रमांक-6

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की जायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्थान्तिक करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अनिवार्यतः संसूचित करेंगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम- 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन-व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, प्रभार प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें।

9- प्रबन्धतंत्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन-व्यवस्था करते समय नियुक्ति-पत्र में शासनादेश संख्या- 22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय

10- संस्कृत एवं सांख्यिकी विषय की आसन-व्यवस्था मा. उच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील सं. 945/2020 एवं वाद ए संख्या-9754/2021 में पारित अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, (उ०शि०) उ०प्र०,
डिग्री अर्थ-1 (आयोग)
प्रयागराज।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर

डॉ. (विन्नावन लाल शर्मा)
सहायक-शिक्षा निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय
उ०प्र०, प्रयागराज

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1 (आयोग) / 191-196 / 2022-23

दिनांक: 14/06/2022

विषय :- विज्ञापन संख्या-50 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर PSYCHOLOGY के पद के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर PSYCHOLOGY वेतनक्रम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 के सापेक्ष 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल- 10 रु 57700/- में रिक्त पद का संदर्भ लें जो डॉ० डा० प्रेमलता की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/व्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध हैं।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या- उ०शि० आयोग/उ०शि०आयोग/सी-873/37/349/2022-23 दिनांक 06/06/2022 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर PSYCHOLOGY के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम- वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अध्याचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

नाम ANURAG RAI

पता-LIG-II-147 BAG MUGALIA EXTENSION BHOPAL MADHYA PRADESH 462043

श्रेणी -GEN, चयन श्रेणी -GENERAL
मेरिट सूची में क्रमांक-23

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्थान्कित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अंतर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम- 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अंतर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम आदेश जारी होता है तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8- अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रभास प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें।

9- प्रबन्धतंत्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन-व्यवस्था करते समय नियुक्ति-पत्र में शासनादेश संख्या- 22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय

10- समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, एशियन कल्चर विषय की आसन-व्यवस्था मा० उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील संख्या- 945/2020 एवं वाद ए संख्या- 9754/2021 एवं इससे संबंधित अन्य रिट याचिकाओं में पारित अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।

५५॥

सचिव/प्रतन्त्रक/प्राधिकृत त्रियंभक

BAPU DEGREE COLLEGE FIPIGANI GORAKHPUR

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1(आयोग)/ 287-292/2020-21

दिनांक 05/11/2020

विषय :- विज्ञापन संख्या-47 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर SOCIOLOGY के पद के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय ,

कृपया अपने महाविद्यालय BAPU DEGREE COLLEGE PIPIGANJ GORAKHPUR के असिस्टेंट प्रोफेसर SOCIOLOGY चेतनराम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 के सापेक्ष 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल- 10 रु 57700/- में रिक्त पद का संदर्भ लें जो डॉ०

'(CREATED) श्री संवत्तिष्ठति/मृत्यु/त्यागपत्र/ तिथि/श्राद्धादि/धर्म/विधानानाम्/संज्ञकम्/

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या-उ-शि-आयोग/C-775/41/293/2019-20 दिनांक 15/07/2020 द्वारा जित अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के अशिस्टेंट प्रोप्रेसर SOCIOLOGY के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा-12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अध्याचन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

DEVI NARAYAN PANDEY

PUT-VILL-DEVE-TAN-POST-IL-SPUR-DE-ET-UN-DRAME-OR-UR

मेरिट सूची में क्रमांक-62.

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति संमस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से चित्तम्वन्ततम 30 दिन के भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्थान्कित करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निर्देशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्देशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समायान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम- 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी. परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

(6- यदि विन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष-वाहक-के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा(0 न्यायालय का कोई स्थगन/अंतरिम/अन्तिम वाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए बाह्यविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन्न व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8- आन्वर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, प्रभार प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, उपप्र०, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित।

Jan 17

11/5/2020, 5:57 PM

प्रेमक,

शिक्षा निदेशक, (उ०शि०) उ०प्र०,
डिग्री अर्थ-1 (आयोग)
प्रयागराज।

सेवा में,

सचिव/प्रबन्धक/प्राधिकृत नियंत्रक
बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर

पत्रांक : डिग्री अर्थ-1 (आयोग)/ 217-222 /2022-23

दिनांक 23/06/2022

विषय :- विज्ञापन संख्या-50 में विज्ञापित पद असिस्टेंट प्रोफेसर GEOGRAPHY के पद के प्रति आयोग से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु संस्तुति।

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज, गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर GEOGRAPHY वेतनक्रम 15600-39100 ग्रेड पे 6000 के सापेक्ष 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल- 10 उ 57700/- में रिक्त पद का संदर्भ ले जो डॉ० डा० स्वयं प्रकाश सान श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/एकल स्थानान्तरण के फलस्वरूप रिक्त रूप में उपलब्ध है।

2- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त पद के लिए आयोग ने अपने पत्र संख्या-उ०शि० आयोग/ उ०शि०आयोग/सी-873/36/369/2022-23 दिनांक 09/06/2022 द्वारा जिन अभ्यर्थियों का चयन आसन व्यवस्था हेतु संस्तुत किया है उनमें से आपके महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर GEOGRAPHY के पद पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) अधिनियम वर्ष 1980 की धारा 12-2 के अंतर्गत आपके द्वारा उपरोक्त अधियायन हेतु प्रेषित पद के प्रति धारा 13(3) के प्राविधानों के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी का नाम प्रेषित किया जाता है।

नाम NITIN KUMAR LAL

पता-53D MAHADEV PURAM COLONY NEAR ENGG. COLLEGE GORAKHPUR GORAKHPUR GORAKHPUR UTTAR PRADESH 273008

श्रेणी -SC, चयन श्रेणी -SC
मेरिट सूची में क्रमांक-6

उक्त संस्तुत अभ्यर्थी के आवेदन की छायाप्रति समस्त संलग्नकों सहित इस पत्र के साथ संलग्न है।

3- अतः एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (यथा संशोधित) अधिनियम की धारा 14(1) के प्राविधानों के अनुसार आप इस पत्र के प्राप्त होने की तिथि अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गयी संस्तुति-पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, से विलम्बतम 30 दिन क भीतर उक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश पंजीकृत डाक से भेजे तथा आदेश की एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रस्तान्तिक करें। इस संबंध में यह आवश्यक है कि पदभार ग्रहण करने के लिए संबंधित अभ्यर्थी को पर्याप्त समय (कम से कम 21 दिन) अवश्य दिया जाय।

4- संबंधित अभ्यर्थी, प्रबन्धक द्वारा निर्गत नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम (यथा संशोधित) 19 की धारा 15(1) के अन्तर्गत उपबन्धित समयान्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को अनिवार्यतः संसूचित करेगा।

5- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निदेशक द्वारा संस्तुत उक्त अभ्यर्थी को समयान्तर्गत यदि नियुक्ति पत्र प्रबन्धतंत्र द्वारा निर्गत नहीं किया जाता है तो प्रबन्धतंत्र को बिना पूर्व सूचना दिये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम- 1980 की धारा 15(1), (2), (3) के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित) की धारा- 57 के अन्तर्गत प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध धारा- 58 की कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति कर दी जायेगी, परिणामतः शासन द्वारा प्रबन्धतंत्र अवक्रमित कर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये जाने पर इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

6- यदि किसी कारणों से अभ्यर्थी द्वारा अपना पदभार निर्धारित अवधि में ग्रहण नहीं किया जाता है तो नियुक्ति आदेश निरस्त करने से पूर्व निदेशालय को एक सप्ताह के अन्दर विशेष वाहक के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करते हुए नियुक्ति आदेश निरस्त करने की अनुमति निदेशालय से अवश्य प्राप्त कर ली जाय। जिससे आपको अन्य अभ्यर्थी का नाम संस्तुत किया जा सके। यदि उक्त पद के प्रति नियुक्ति के संबंध में मा० न्यायालय का कोई स्थगन अंतरिम/अन्तिम बाध्यकारी आदेश हो तो नियुक्ति के पूर्व निदेशालय को अवगत कराया जाय अन्यथा की स्थिति में किसी प्रतिकूल कार्यवाही के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

7- संस्तुत अभ्यर्थी की आसन-व्यवस्था किसी भी परिस्थिति में बिना अपरिहार्य कारणों के अपरिवर्तनीय होगी।

8- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, प्रभार प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें।

9- प्रबन्धतंत्र अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों की आसन-व्यवस्था करते समय नियुक्ति-पत्र में शासनादेश संख्या- 22/5/1982-का-2 दिनांक 27 जुलाई 1994 में दी गयी निम्न व्यवस्था का नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय

10- सैन्य विज्ञान, कीट विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, शस्य विज्ञान, भूगोल एवं दर्शनशास्त्र विषय की आसन-व्यवस्था मा० उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील संख्या- 945/2020 एवं वाद ए संख्या- 9754/2021 एवं इससे संबंधित अन्य रिट याचिकाओं में पारित अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।

"यह नियुक्ति अन्तिम है तथा जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो के सम्बन्ध में दावा झूठा है तो बिना किसी कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही, जो की जा सकती है के बारे में पूर्णतः के बिना चेतावनी के दी जायेगी।"

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार कर निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।